


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०



Rs. 40/-

विश्वम्भर नाथ तनय रामश्रवण द्विवेदी उम्र- 62 वर्ष निवासी ग्राम खन्नौदी
हाल निवासी अमझोर तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल म०प्र०

R 5392-116

निगरानी कर्ता / आवेदक

बनाम

1- शासन. म०प्र०

2- बालेन्द्र तनय भानू प्रसाद ब्रा० उम्र 55वर्ष निवासी जयसिंह नगर रेन्ड
आफिस जयसिंह नगर जिला शहडोल म०प्र० - अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार तहसील
जयसिंह नगर जिला शहडोल द्वारा प्रकरण
कमांक 25अ-3/14-15 आदेश दिनांक
-5-12-14 एवं प्रकरण कमांक 123 अ
3/15-16 पुनर्बिलोकन आदेश दिनांक
16-6-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि व प्रक्रिया के
विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

M

Disreed

(62)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5392-II/16

जिला-शहडोल

विशम्भरनाथ द्विवेदी/ शासन, बालेन्द्र

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जयसिंहनगर के प्रकरण क्रमांक 25/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	